


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.8() आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/4624 जयपुर, दिनांक: 14/04/2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के सम्बन्ध में।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 4307 दिनांक 03.04.2020 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न आपदा की परिस्थितियों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेंट कमाण्डर की सहायता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित है। इस क्रम में सभी उपखण्ड अधिकारी/इन्सीडेंट कमाण्डर को सूचित करें कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा पंचायत स्तर पर समस्त कार्य सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत से सम्बन्ध बनाए रखते हुए संपादित किये जावें तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप की समस्त बैठकों में सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत को ससम्मान आमंत्रित कर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जावे।



(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव